<u>पूर्वोत्तर राज्यों में आतंकवादियों के आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास के लिए योजना</u>

गृह मंत्रालय पूर्वोत्तर राज्य में आतंकवादियों के आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास की योजना जो 01.01.1998 से प्रभावी है, को लागू कर रही है जिससे कि उन गुमराह युवकों तथा हार्डकोर के आतंकवादियों जो आतंकवाद के दुश्चक्र में फंस गए हैं और बाद में उसके जाल में जकड़ लिए गए, को छुड़ाया जा सके। इस योजना में यह सुनिश्चित करने की मांग की गई है कि जिन आतंकवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है, वे पुन: आतंकवाद के गर्त में न गिरने पाएं। यह योजना छह पूर्वोत्तर राज्यों (सिक्किम और मिजोरम को छोड़कर) के लिए 01.04.2018 से संशोधित कर दी गई है। संशोधित नीति के अनुसार, आत्मसमर्पण करने वाले आतंकवादियों को निम्नलिखित फायदे प्रदान गए हैं :-

(i) आत्मसमर्पण करने वाले प्रत्येक आतंकवादी को 4 लाख रुपए का तात्कालिक अनुदान, इसे आत्मसमर्पण करने वाले आतंकवादी के नाम में 3 वर्ष की अवधि के लिए किसी बैंक में 'सावधि जमा' के रूप में रखा जाएगा। इस राशि का उपयोग स्व-रोजगार के लिए बैंक से आत्मसमर्पण करने वाले आतंकवादी के प्राप्त किए जाने वाले ऋण में सहवर्ती सुरक्षा/मार्जिन धन के रूप में किया जा सकेगा;

(ii) आत्मसमर्पण करने वाले प्रत्येक आतंकवादी को 03 वर्ष की अवधि के लिए 6000/- रुपए प्रतिमाह की वृत्तिका राशि की अदायगी;

(iii) आतंकवादियों द्वारा समर्पित किए गए हथियार/गोलाबारूद के लिए प्रोत्साहन;

(iv) आत्मसमर्पण करने वाले आतंकवादी के स्व-रोजगार के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण;

(v) पुनर्वास शिविरों के निर्माण के लिए निधियां; और

(vi) पूर्वोत्तर राज्यों में सुरक्षा संबंधी व्यय की योजना के अंतर्गत आत्मसमर्पण करने वाले आतंकवादियों के पुनर्वास पर किए गए कुल व्यय के 90 प्रतिशत हिस्से की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

भारत सरकार की इस नीति के अनुसरण में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विभिन्न उग्रवादी समूहों के कई ग्रुपों ने आत्मसमर्पण किया है और वे समाज की मुख्यधारा में शामिल हुए हैं। पिछले 07 वर्षों के दौरान, विभिन्न पूर्वोत्तर राज्यों में आत्मसमर्पण करने वालों की संख्या नीचे दी गई है :-

राज्य	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 (31.7.19 तक)
अरुणाचल प्रदेश	17	2	7	3	4	3	2	1
असम	791	92	102	30	15	13	13	32
मणिपुर	350	513	80	4	0	74	0	0
मेघालय	20	10	733	78	205	37	19	1
मिजोरम	0	0	3	0	0	0	114	0
नागालैंड	4	1	0	13	16	2	0	9
त्रिपुरा	13	22	40	15	27	1	13	2
कुल	**1195**	**640**	**965**	**143**	**267**	**130**	**161**	**45**